



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273894  
CG-DL-E-27062026-273894

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3285]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/ आषाढ 4, 1948

No. 3285]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

**का.आ. 3419(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -927ए के कि.मी 112.167 से कि.मी 151.480 (गरणवास से खेरवाड़ा खण्ड) तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन/ चार लेन/ आदि में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

## अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 927ए पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपखण्ड अधिकारी झाडोल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH927A के कि.मी 112 से कि.मी 113 तक	राजस्थान	उदयपुर	झाडोल	1 गरणवास
2	उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH927A के कि.मी 113 से कि.मी 152 तक	राजस्थान	उदयपुर	खेरवाड़ा	1 महुवाल मगरा 2 मगरा 3 चिकलवास 4 ढीकवास 5 नवाधरा 6 निचला तालाब 7 कातरवास खुर्द 8 बरोठी मिलान 9 सुबेदरा 10 बावलवाडा 11 खुणादरी 12 पलसीया 13 महुदरा 14 सुलई 15 नीचला थुरिया 16 कानपुर 17 जावली 18 भाणदा 19 भाटकी 20 बायडी 21 लकोडा 22 कटेवडी

						23	बडला
						24	गोहावाडा
						25	खैरवाडा छावणी
						26	ववाई
						27	उपला थुरिया

[फा.सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2026/02]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2026

**S.O. 3419(E).**— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction (widening/2L/4 Lane with paved shoulder/etc.) from km. 112.167 to km 151.480 (Garanwas to Kherwada section) on NH-927A in the State of Rajasthan.

**SCHEDULE**

Land acquisition on National Highway No. NH927A in the State of RAJASTHAN.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SDM Jhadol	NH927A KM 112 TO KM 113	RAJASTHAN	UDAIPUR	Jhadol	1   Garanwas
2	SDM Kherwada	NH927A KM 113 TO KM 152	RAJASTHAN	UDAIPUR	Kherwara	1   Mahuwal Magra 2   Magra 3   Cheekalwas 4   Dheekwas 5   Nawaghara 6   Nichla Talab 7   Katarwas Khurd 8   Barothi Milan 9   Subedra 10   Bawal Wara 11   Khunadari 12   Palsiya 13   Mahudara

						14	Sulai
						15	Nichlathooriya
						16	Kanpur
						17	Jawli
						18	Bhanda
						19	Bhatki
						20	Baydi
						21	Lakora
						22	Katewari
						23	Badla
						24	Gohawara
						25	Kherwara Chhawni
						26	Vavai
						27	Uplathooriya

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2026/02]

SHAIKH AMINKHAN, Director